

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

क्र.सं.:—पुआज/लेखा/आयकर/2025-26/ 1532
यूनिक बिड नम्बर:—

दिनांक :- 18/11/25
दिनांक :-

खुली निविदा सूचना

पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा फर्मों की वित्तीय वर्ष 2025-26 की टी.डी.एस. रिटर्न जमा करने एवं आयकर, जी.एस.टी. के कार्य हेतु वार्षिक अनुबन्ध पर निविदायें संलग्न शर्तों में वर्णित पात्र निविदा-दाताओं से आमन्त्रित की जाती हैं, जो दिनांक 19/11/2025 से दिनांक 27/11/2025 को दोपहर 01.00 बजे तक वेबसाईट <http://www.sppp.raj.nic.in> अथवा jaipurpolice.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके या कार्यालय से प्राप्त कर निर्धारित दस्तावेजों के साथ दिनांक 27/11/2025 को दोपहर 03.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा दिनांक 27/11/2025 को ही सांय 04.00 बजे खोली जायेगी। निविदा की मुख्य शर्तें एवं विवरण राजस्थान सरकार के पोर्टल राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट <http://www.sppp.raj.nic.in> पर देखी जा सकती हैं।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु)	बिड प्रतिभूति (रु)	बिड प्रपत्र शुल्क (रु)	बिड प्रपत्र डाउनलोड/ कार्यालय से प्राप्त करने की अंतिम दिनांक एवं समय	बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	बिड खोलने की दिनांक एवं समय
टी.डी.एस. रिटर्न जमा करने एवं आयकर, जी.एस.टी. सम्बन्धित कार्य	3,50,000/-	7000/-	500/-	दिनांक 27/11/2025 को दोपहर 01.00 बजे तक	दिनांक 27/11/2025 को दोपहर 03.00 बजे तक	दिनांक 27/11/2025 को सांय 04.00 बजे


(राजेश कुमार काँवत IPS)
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
आयुक्तालय जयपुर

प्रतिलिपि :-

- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (द्वितीय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
- जनसम्पर्क निदेशक, राज0 जयपुर को 08 प्रतियों में भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन राज्य स्तरीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में नियमानुसार करावें।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
- जनसम्पर्क अधिकारी, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें एवं निविदा प्रकाशन अखबार की एक प्रति रिकॉर्ड हेतु इस कार्यालय में भिजवायें।
- सहायक प्रोग्रामर, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदा को राज्य लोक उपापन पोर्टल एवं राज. पुलिस वेबसाईट पर अपलोड कर प्रकाशित करावें।
- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/पुलिस लाईन/पु0नि0 कक्ष जयपुर।
- कैशियर कार्यालय हाजा।


पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
आयुक्तालय जयपुर

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय जयपुर
(निविदा प्रपत्र-तकनीकी बोली)

परिशिष्ट "अ"

घोषणा

निविदा सूचना क्रमांक:-

दिनांक:-

- (I) के लिए निविदा(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखें, जिसके लिए निविदा दी गई है)
- (II) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म:-
का नाम व डाक का पूर्ण पता:-
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल साहित:-
- (III) निविदा जिसे प्रस्तुत करनी है:- पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर
- (IV) सन्दर्भ:- निविदा सूचना संख्या:- दिनांक जो
.....(समाचार पत्र का नाम) में दिनांक..... को प्रकाशित हुई है।
- (V) निविदा शुल्क:- राशि रूपये..... बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....
दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है।
- (VI) बिड प्रतिभूति:- राशि रूपये डीडी नं0..... दिनांक..... जमा करा है।
- (VII) हम निविदा सूचना संख्या..... दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। परिशिष्ट "स" के समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण-स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा परिशिष्ट हस्ताक्षर शुद्धा संलग्न है।
- (VIII) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा जारी कार्यदेश में अंकित अवधि में कार्य कर दिया जावेगा।
- (IX) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "वित्तीय बिड" में अंकित की गई दरें "तकनीकी बिड" खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।
- (X) हमारा जीएसटी पंजियन संख्या..... है। (छायाप्रति संलग्न है।)
- (XI) हम सम्पुष्टि करते हैं कि वित्तीय बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेगे, जिसके अभाव में निविदा निरस्त योग्य है।
- (XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में निविदा निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

S.No.	Type of Certificate & Other informations	Yes/No	Date of issue/ Validity
1-	Whether tender fee document is submitted with open-tender. Provide details Banker Cheque/DD no..... dt.....		
2-	Whether EMD document submitted with open-tender. Provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no..... dt..... amount.....		
3-	Whether agreed with all tender conditions		
4-	Whether annexure- D have been downloaded, signed and submitted with open-tender		
5-	Whether sales G.S.T. registration certificate is submitted with open-tender		

Tel.: +91-141-2362081

Fax: +91-141-2362081

E-Mail: dcp.hq.jaipur@rajpolice.gov.in



6-	Whether Pan card certificate is submitted with open-tender		
7-	Whether turn over certificate is submitted with open-tender (विशिष्ट शर्त संख्या 14 के अनुसार)		
8-	Whether experience certificate is submitted with open-tender (विशिष्ट शर्त संख्या 02 के अनुसार)		

(XIII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा खुली-निविदा में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

नोट:-

1. क्रम संख्या (XII) में अंकित संलग्नको में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे 'Yes or 'No' उसके जारी होने की तिथि / (Issuing date Validity date) वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उतरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. निविदा भरने की प्रक्रिया:-
 - (ए) परिशिष्ट "अ" तकनीकी बिड है तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" एवं "द" तथा अनुलग्नक अ,ब,स में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' पर हस्ताक्षर उपरान्त खुली-निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किए जावेंगे।
 - (बी) परिशिष्ट "ब" वित्तीय बिड है उसे खुली-निविदा में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। तकनीकी बिड में सफल बिडदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
 - (सी) बोली दाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड जिसमें बोली के तहत मांगे गये डी.डी./बैंकर्स चैक, बोली फार्म व हस्ताक्षर युक्त बिड प्रपत्र तथा तकनीकी बिड में मांगे गये समस्त दस्तावेज रखकर सीलबन्द करना होगा तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड में अपनी प्रस्तावित दरें निर्धारित परिशिष्ट में भरकर इस लिफाफे को सील बन्द करना होगा तथा इन दोनों बन्द लिफाफो को एक तीसरे लिफाफे में रखकर इसे सीलबन्द कर उस पर सम्बन्धित निविदा कार्य का नाम तथा बोली दाता फर्म का नाम पता व दूरभाष/मोबाइल नम्बर लिखकर प्रस्तुत करना होगा। खुले में वित्तीय दरें प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं की जायेंगी।



निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय जयपुर

परिशिष्ट "ब"

निविदा प्रपत्र वित्तीय बिड

बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा कार्यालय का पूर्ण पता

प्रस्तावित कार्य का विवरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दरें (समस्त करों सहित) (रूपये)	
		अंको में	शब्दों में
1.	त्रैमासिक 24 क्यू रिटर्न की दर (प्रति प्रविष्टि) [R1]		
2.	त्रैमासिक 26 क्यू रिटर्न की दर (प्रति प्रविष्टि) [R2]		
3.	फार्म नम्बर 16 एवं 16ए की प्रिन्ट सहित की दर (प्रति फार्म) [R3]		
4.	फार्म नम्बर 16 एवं 16ए की प्रिन्ट रहित की दर (प्रति फार्म) [R4]		
5.	जीएसटी की मासिक रिटर्न से सम्बन्धित समस्त कार्य की दर प्रति माह [R5]		
6.	Website URL/QR code scan से कार्मिकों के Form 16 Download करने की सुविधा की एक मुश्त राशि (lump sum cost) [R6]		
7.	GST / INCOME TAX अपील		
8.	GST / INCOME TAX नोटिस के जवाब		



हस्ताक्षर बिडदाता
मोहर सहित

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय जयपुर
परिशिष्ट "स"
निविदा की विशिष्ट शर्तें

निविदा प्रपत्र पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय जयपुर दिनांक 19/11/2025 से दिनांक 27/11/2025 को दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित शुल्क रूपये 500/- जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा राजस्थान सरकार के पोर्टल राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाइट <http://www.sppp.raj.nic.in> अथवा jaipurpolice.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट से डाउनलोड किये गये बिड प्रपत्र का शुल्क बिड के साथ पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय जयपुर के नाम देय डी.डी./बैंकर्स चैक, द्वारा जमा कराना आव यक है।

1. बिडदाता/फर्म/कम्पनी में किसी भी एक व्यक्ति को भारत के चार्टर्ड अकाउटेन्ट संस्थान Fellow Chartered Accountant (FCA) dk CERTIFICATE होना चाहिए तथा निरंतर अभ्यास में होना चाहिए, इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. बिडदाता फर्म के पिछले तीन वर्षों के किसी भी सरकारी विभाग/कार्यालय/निगम/बोर्ड में आयकर रिटर्न एवं जी.एस.टी. रिटर्न से संबंधित कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण-पत्र/कार्यादेश की प्रति संलग्न करें।
3. पंजीयन प्रमाण-पत्र:- फर्म का कोई भी सदस्य आईसीएआई का सदस्य होना अनिवार्य है।
4. बिडदाता/फर्म में कार्य को निष्पादित करने के लिए आव यक प्रयासों के स्तर को देखते हुए, बोली लगाने वाली कम्पनी की टीम का आकार कम से कम 20 कर्मचारियों का होना चाहिए एवं बिडदाता/फर्म का निजी/किराये का जयपुर में कार्यालय होना चाहिए।
5. आयकर रिटर्न दाखिल करने एवं आयकर की रिटर्न को निर्धारित समय सीमा में रिवाइज्ड करने के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादन करने एवं पुलिस आयुक्तालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु बोलीदाता के पास खुद का In-house software होना चाहिए। इस सम्बन्ध में बोलीदाता द्वारा अन्डरटेकिंग देना होगा।
6. सफल बिडदाता द्वारा पुलिस आयुक्तालय जयपुर की पूर्व वर्षों की किसी प्रकार की रिटर्न को रिवाइज करनी होगी तथा BULKPAN सत्यापन एवं सुधार की कार्यालय द्वारा आयकर से संबंधित कानूनों के निर्वहन के संबंध में आवश्यकता समझी जाती है तो अविलम्ब कार्यवाही करके प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई चार्ज देय नहीं होगा।
7. भविष्य में टी.डी.एस रिटर्न को त्रुटि मुक्त प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित तिमाही में दर्ज सभी कर्मचारियों के PAN नम्बर का BULKPAN सत्यापन किया जाना है।
8. भुगतान का सत्यापन NSDL की प्रविष्टी के आधार पर किया जायेगा।
9. आयकर विभाग के GST & TDS रिटर्न आदि नोटिसों के जवाब बनाने में सलाह देनी होगी। Notice का जवाब देगा।
10. सफल निविदादाता GST/TDS/INCOME TAX आदि से संबंधित समस्त प्रकरणों पर मांगे जाने पर अपनी राय देगा।
11. अपील हेतु दरें TA/DA सहित होगी, इसके अतिरिक्त अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
12. सम्बन्धित तिमाही के PAN के सत्यापन की रिपोर्ट DATA उपलब्ध कराने के 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।
13. अनुमानित कार्मिकों की संख्या 13000 है जिसमें में कमी या वृद्धि हो सकती है।
14. फर्म का टर्न ऑवर गत तीन वित्तीय वर्ष में (2022-23, 2023-24, 2024-25) में न्यूनतम 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है, तथा पुष्टि हेतु वित्तीय खातों की CA द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इसके



अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। टर्न ऑवर सीए द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है तथा UDIN NO अंकित होना चाहिए।

15. कर्मचारियों से प्राप्त Declaration form के आधार पर आयकर की सही गणना कर वित्त 16 तैयार किया जाना है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय से कर्मचारियों के प्राप्त Declaration form उपलब्ध कराये जाने के 15 दिवस में फार्म-16 तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
16. जीएसटी की रिटर्न से संबंधित समस्त कार्य केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार निर्धारित समय पर सम्पादित करने होंगे।
17. आयकर टी.डी.एस. 24Q, 26Q की तिमाही रिटर्न हेतु पे-मेनेजर से DATA Dowanload कर PDF Format में उपलब्ध कराया जावेगा।
18. फर्म द्वारा नियमानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित कर भुगतान हेतु बिल 3 प्रतियों में रिटर्न की प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।
19. भुगतान की जाने वाली राशि में से नियमानुसार की जाने वाली कटौतियां अर्थात् टी.डी.एस. इत्यादि काटकर ही भुगतान किया जावेगा।
20. आपसी सहमती से बिड को RTPP Act/Rules के अनुसार आगामी 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है।
21. फर्म द्वारा समय पर संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं करने पर 15 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। उक्त कार्य बाजार से कराया जावेगा तथा बाजार से करवाये गये कार्य की भुगतान वसूली फर्म से की जावेगी।
22. निविदा दरों से भरी हुई बिड्स के मूल दस्तावेज, बिड प्रपत्र शुल्क, बिड सिक्यूरिटी के डी.डी एवं चालान की प्रति बिड के साथ संलग्न सभी प्रपत्र दिनांक 27/11/2025 को सायं 03.00 बजे तक पुलिस आयुक्तालय जयपुर एम. आई.रोड गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर के निविदा बॉक्स में जमा कराने हैं। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त बिड्स पर विचार नहीं किया जाएगा।
23. निर्धारित समय तक प्राप्त बिड्स को दिनांक 27/11/2025 को सायं 04.00 बजे उपापन/क्रय समिति के द्वारा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के कक्ष में उपस्थित बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों जो बिड खोलते समय उपस्थित रहना चाहें के समक्ष खोला जाएगा।
24. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेजों में या अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर बिड को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताकरकर्ता को होगा।
25. द्वि-भाग बोली (Two-Stage bidding) प्रणाली:- बोली दाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड जिसमें बोली के तहत मांगे गए डी.डी./बैंकर्स चैक, बोली फार्म व हस्ताक्षर युक्त बिड प्रपत्र तथा तकनीकी बिड में मांगे गये समस्त दस्तावेज रखकर सीलबंद करना होगा तथा दूसरे लिफाफे में अपनी प्रस्तावित दरें निर्धारित परिशिष्ट में भरकर इस लिफाफे को सील बन्द करना होगा तथा इन दोनों बन्द लिफाफों पर क्रमशः तकनीकी बिड व वित्तीय बिड तथा फर्म का नाम लिखकर एक तीसरे लिफाफे में रखकर इसे सीलबन्द कर उस पर संबंधित निविदा कार्य का नाम तथा बोली दाता फर्म का नाम, पता व दूरभाष/मोबाईल नम्बर लिखकर प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफे में ना होने पर अथवा बिना लिफाफे (वित्तीय बिड खुली होने पर) में प्राप्त होने पर संबंधित निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
26. किसी भी बोली को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
27. निविदादाता फर्म पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के Form-16 तैयार कर QR CODE SCAN ,व URL LINK से Download करने की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायेगी।
28. निविदादाता फर्म को कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
29. यदि बिडदाता द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया जाता है तो बिड को योग्य बिड (Responsive Bid) के रूप में नहीं माना जाएगा।


पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
आयुक्तालय जयपुर

प्रपत्र (स)
निविदा की सामान्य शर्तें

1. बिडदाता बिड को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करें। लिफाफों को गम/ग्लू/चपड़ी से सील किया जाना चाहिए (लिफाफे स्टेपल किए हुए नहीं होने चाहिए)।
2. दरें अंको व शब्दों में लिखी जानी चाहिए एवं उनमें कोई त्रुटी या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
3. निविदा दस्तावेजों के समस्त पेजों पर निविदादाता के हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।
4. विधि मान्यता : बिड, उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
5. सशर्त बिड मान्य नहीं होंगी। सशर्त बिड को निरस्त कर दिया जायेगा।
6. संवेदक अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा और न ही सबलैट कर सकेगा।
7. बिड प्रतिभूति राशि :-
 - 1) बिडस के साथ बिड सूचना के अनुसार बिड प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय जयपुर के पक्ष में देय बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा जमा करायी जावे।
 - 2) बिड प्रतिभूति का प्रतिदाय :- असफल बिडदाताओं की बिड प्रतिभूति बोली को अंतिम रूप से स्वीकार कर सफल बिडदाता के साथ अनुबंध निष्पादित करने के बाद लौटाई जायेगी।
 - 3) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बिड प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आव यकता नहीं है। उन्हें बिड के साथ बिड प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
 - 4) बिड प्रतिभूति की समपहरण :-बिड प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जाएगा :
 - I. जब बोलीदाता बिड खोलने के बाद किन्तु बिड को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
 - II. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
 - III. जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के बाद निर्धारित तिथि तक कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
 - IV. जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
8. भुगतान:- (1)
 - a) जब तक पक्षकारों के अन्यथा सहमती न हो जाए, कार्य सम्पादन के भुगतान के लिए भुगतान संवेदक द्वारा पुलिस आयुक्तालय जयपुर को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार संवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे।
 - b) विवादास्पद मदों के संबंध में भुगतान राशि के 25 प्रतिशत तक को रोका जा सकेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
 - c) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है भुगतान तभी किया जाएगा जब परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण के परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होंगे।
 - d) बिड प्रपत्र में कार्य के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के साररूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से कार्य आदेश के प्राप्त होने से विहित अवधि के भीतर कार्य किया जाएगा।
 - e) कार्य सम्पादन के उपरान्त किये गये कार्य का Backup, Hardcopy एवं Softcopy में बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।



9. वसूलियां :- निर्धारित समय पर कार्य सम्पादन न करने पर या कार्य संतोषजनक न होने पर भुगतान रोका जा सकेगा तथा यदि कोई वसूली बनती है तो वसूली उसकी देय राशि एवं पुलिस आयुक्तालय जयपुर के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
10. यदि बिडदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर द्वारा जारी किये गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।
11. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर किसी भी बिड को जो आव यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को रद्द करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेंगे।
12. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को भेजा जाएगा तथा उस विवाद के लिए पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा। समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आव यक हो, तो किसी भी पक्षकार, पुलिस आयुक्तालय जयपुर या प्रदायक, द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
13. (1) करार पत्र का निष्पादन एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप:
- (1) सफल बोलीदाता को स्वीकृति की सूचना का पत्र जारी होने की दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के नाम देय डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा, जिन कार्यों के लिए बोली स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराकर रुपये 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- (2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर पुलिस आयुक्तालय जयपुर द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :-
- (क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई-ग्रास/चालान की प्रति।
- (4) संविदा के सन्तोषजनक रूप से सम्पादन कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं है, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
- (2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा :-
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब संवेदक सम्पूर्ण कार्य/आपूर्ति सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- (3) करार पत्र पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बिडदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा पुलिस आयुक्तालय जयपुर द्वारा बिडदाता को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रति निःशुल्क दी जाएगी।
14. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
15. बोली की समस्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-2 में दिए गए प्रावधान/शर्तें एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश आदि संवेदक पर कभी भी बाध्यकारी हो सकते हैं।
16. सत्यनिष्ठा संहिता (code of integrity) उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोई भी फर्म/संस्था/व्यक्ति,



- (1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, ईनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे को कोई प्रस्ताव नहीं करे।
- (2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेान या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।
- (9) डायरी एवं निर्देशिका की सूचनाएं किसी अन्य को उपलब्ध नहीं करायेगा।

17. हित का विरोध (conflict of interest):-

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) कोई बोली लगाने वाली किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि-
 - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है,
 - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है,
 - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है,
 - (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ड.) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है,
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्रारूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और न ही समबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

18. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा 3 और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।

19. (1) उपापन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानुसार निर्धारित प्रक्रिया से की जा सकेगी।

(2) प्रथम अपील अधिकारी पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय जयपुर तथा द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव है।



कार्यालय पुलिस उपायुक्त(मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

परिशिष्ट "द" (प्रथम)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने कार्यालय पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा फर्मों की वित्तीय वर्ष 2025-26 की टी.डी.एस. जमा करने एवं आयकर, जी.एस.टी. के कार्य की निविदा दी है, उनके लिए मै/हम बोनाफाइड सेवा प्रदाता है। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट अ, ब एवं स तथा निविदा सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगां/करेंगे और मै/हम उन्हे अक्षरक्षः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बयाना/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

पूर्ण पता-

टेलीफोन नं.

परिशिष्ट "द" (द्वितीय)

शपथ पत्र

मैं-

यह कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृति में लिप्त नहीं है। और न ही किसी भी राजकीय विभाग द्वारा पूर्व ब्लेक में लिस्टेड किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

पूर्ण पता

